ग्राम पंचायत पलोग, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग-1

1 (क)प्रस्तावना:-

ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सौंपने जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पलोग, विकास खंड कुनिहार जिला सोलन का अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) परिशिष्ट "ख" के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

क्रम संख्यां	प्रधान	अवधि	सचिव	अवधि
1.	श्री सत्या कश्यप	01/04/2013 से 23/01/2016	श्रीमती विजयलक्ष्मी	01/04/2013 से लगातार
2.	श्री योगेश चौहान	24/01/2016 से लगातार		

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्यां	पैरा संख्यां	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	22.96 (लगभग)
2	11 (i)	क्रय संबन्धित निविदाएँ इत्यादि प्रस्तुत न करना	3.48
3	11 (iii)	भुगतानों के समर्थन में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करना	2.16
4	15 (ii)	क्रय से संबन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न दर्शाना	3.56

भाग -2

2 ग्राम पंचायत अवधि 01-04-2013 से 31.3.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी

द्वारा 16.8.16 से 19.8.16 तथा 03.12.16 व 05.12.16 तक ग्राम पंचायत पलोग में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 02/14,12/14 व 03/16 तथा व्यय हेतु माह 03/14, 12/14 व 06/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत पलोग के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 तक के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 38 दिनांक 03/12/16 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदे शक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

(क) ग्राम पंचायत पलोग के स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट “”क” के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	258982.71	1012830.00	1271812.71	836601.00	435211.71
2014-15	435211.71	1523081.00	1958292.71	807878.00	1150414.71
2015-16	1150414.71	1674450.00	2824864.71	529159.00	2295705.71

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्तिथि के अनुसार शेष = 2295705.71---(1)

[2295531.71(विभिन्न बैंक्स में)+174.00 (हस्तगत रोकड़)]

(परिशिष्ट “क”) के अनुसार दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों का तथा हस्तगत शेष =2295705.71-(2)

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न
बैंक खातों के शेष में अन्तर:- शून्य (1-2)

(**ख) स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-**

(i) बैंक तथा डाक घर खातो में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे:-

परिशिष्ट "क" के द्वारा विभिन्न बैंक/डाक घर खातों में जमा राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु बार-2 आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंक/डाक घर में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंकों तथा डाक घरों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। इस कारण इन खातों में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित बैंकों/डाक घरों से दिनांक 31/03/16 को जमा राशि बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ताकि जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि की जा सके।

क्रम संख्यां	**बैंक / डाक घर का नाम**	**दिनांक 31/03/16 को जमा राशि (र०)**
1.	डाक घर मान्झुं	255.40 (Dr.)
2.	डाक घर अर्की	2656.15(Dr.)
3.	डाक घर मान्झुं	702.55(Dr.)
4.	कोपरेटिव बैंक अर्की	3106.00(Dr.)
5.	स्टेट बैंक आफ़ पटियाला कुनिहार	116.05(Dr.)
6.	स्टेट बैंक आफ़ पटियाला कुनिहार	45767.76 (Cr.)

(ii) स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित आय/व्यय दर्ज करने हेतु पृथक रोकड़ बहियों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्षाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएगें और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम के विरूद्ध रोकड़ बही का रख–रखाव किया गया था तथा विभिन्न 12 बैंकों / डाकघर बचत खाते खोले गए थे।

अतः पंचायत प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना करते हुए अतिरिक्त बचत खातों को बन्द करके रोकड़ बही का रख–रखाव खाता क व खाता के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

(ग) ग्राम पंचायत पलोग के वाटर शेड (DPAP) से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट "क" के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	182567.00	5420.00	187987.00	0.00	187987.00
2014-15	187987.00	288067.00	476054.00	54229.00	421825.00
2015-16	421825.00	147819.00	569644.00	320001.00	249643.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = 249643.00 (1)

(परिशिष्ट ""क")

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों /बही खातों के अनुसार शेष =251454.00 (2)

(परिशिष्ट "क")

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में अन्तर:- ₹1811

(i) बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना:-

दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों के शेषों में ₹1811/- का अंतर था। बार-2 आग्रह करने के पश्चात भी इस अंतर बारे स्थिति स्पष्ट नही की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 ₹1811 अंतर के कारण दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए।

(ii) पंचायत भाग (share) तथा लाभार्थी भाग (share) के लिए एक ही रोकड़ बही का रख रखाव करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वाटर शेड के अंतर्गत पंचायत भाग (share) तथा लाभार्थी भाग (share) से सम्बन्धित आय व्यय के लिए एक ही रोकड़ बही का रख रखाव किया जा रहा था। इस कारण पंचायत भाग (share) तथा लाभार्थी भाग (share) के शेषों की वास्तविक स्थिति रोकड़ बही में स्पष्ट नहीं होती है। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में पंचायत भाग (share) तथा लाभार्थी भाग (share) के लिए पृथक पृथक रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इनके शेषों की वास्तविक स्थिति रोकड़ बही में स्पष्ट हो सके।

(घ) ग्राम पंचायत पलोग के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट “”क” के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	97618.00	1631936.00	1729554.00	1721447.00	8107.00
2014-15	8107.00	1102832.00	1110939.00	1110457.00	482.00
2015-16	482.00	1260821.00	1261303.00	1248689.00	12614.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =12614.00 **(परिशिष्ट “क”)**

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों /बही खातों के अनुसार शेष =12614.00 **(परिशिष्ट “क”)**

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- शून्य

5 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्राप्तियों व भुगतान सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 37 दिनांक 03/12/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से विभिन्न अनुदानों की पृथक-2 रूप से अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वर्षवार आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे जानकारी मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह जानकारी सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित प्राप्तियों व भुगतान के लिए एक ही रोकड़ बही व सयुंक्त बैंक खातों का रख रखाव किया जा रहा था तथा यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में अनुदान प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि बार-2 मांगने पर यह पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण विभिन्न अनुदानों की पृथक -2 रूप से अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वर्षवार आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे पड़ताल करना सम्भव नहीं था। अत: उपरोक्त जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस बारे अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके तथा उपरोक्त जानकारी तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव सही रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (**परिशिष्ट "क"** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति (स्वस्त्रोत तथा अनुदान) के अनुसार ₹2295705.71 शेष थी तथा इस राशि में विभिन्न अनुदानों की शेष राशि भी सम्मिलित थी। इस से यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधं होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अत: अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 सावधि निवेश:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ग")** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशी सावधि जमा में निवेश नही की गई थी जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचयात को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। परन्तु यह प्रतीत होता है कि इस और विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अत: सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

8 रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 (4 तथा 5) का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर उपरोक्त नियमों में दिए गये निर्देशानुसार सचिव तथा प्रधान द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नही दिया जा रहा था । चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीदों पर कटिंग्स होने पर तथा उन्हें रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नही किया जा रहा था इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग भी क्रमवार नही किया जा रहा था। रसीद बुक स्टोक रजिस्टर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा कितनी रसीद बुक्स उपयोग की जा चुकी हैं तथा कितनी शेष है। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

9 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1,2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही में कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग की गई थी। रोकड़ बही में वाउचर संख्यां तथा कई बिलों/कैश मिमों पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में सभी प्रविष्टियाँ का सत्यापन नहीं किया गया था। इसके आलावा कई माहों के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा न तो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था तथा न ही वर्ष के अंत में कैश/बैंक्स के शेषों का विवरण दिया गया था। नियम में निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखी गई थी। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

10 आय:-

आय की पड़ताल के दौरान न तो निम्नलिखित प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए तथा न ही अनुदान रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिस कारण प्राप्त हुई इन राशियों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। इस से यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर तथा अनुदानों की प्राप्तियों से सम्बन्धित दस्तावेजो का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्नलिखित प्राप्तियों से सम्बन्धित दस्तावेज/पत्र आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में अनुदान रजिस्टर का रख रखाव किया जाना आरम्भ किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां/दिनांक	रसीद संख्यां/ FTO संख्यां	राशि (र०)	टिप्पणी
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	58/ 25/02/14	107679	64640	निर्माण कार्य से सम्बन्धित अंतिम किश्त की प्राप्ति।
	99 / 12/12/14	389520	24250	13वां वितायोग
	59 / 14/03/16	389365	352242	14वां वितायोग
	61 / 16/03/16	389368	90000	निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रथम किश्त।
	67 / 25/03/16	389372	15700	कार्यालय व्यय हेतु।
मनरेगा	29 / 05/02/14	107590	170000	मनरेगा की दसवीं किश्त।

	30 / 06/02/14	107592	24426	EFMS
	30 / 15/02/14	10591	80000	मनरेगा की दसवीं किश्त
	31 / 24/02/14	107593	112194	EFMS
	32 / 25/02/14	107596	67620	EFMS
	50/ 03/12/14	FTO संख्यां :51906	23100	EFMS
	50/ 05/12/14	FTO संख्यां :52269	109648	EFMS
	51/ 09/12/14	FTO संख्यां :53454	11680	EFMS
	51/ 12/12/14	FTO संख्यां :54837,54842	72688	EFMS
	52/ 13/12/14	FTO संख्यां :50416, 52269, 52491, 52492, 54928	93616	EFMS
	53/ 31/12/14	FTO संख्यां :64293	17120	EFMS
	53/ 31/12/14	FTO संख्यां :64291, 64292	67914	EFMS
वाटर शेड	68/ 19/12/14	389519	280000	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त राशि

11 व्यय:-

(1) ₹3.48 लाख के क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ आदि प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित ₹347939 के किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ आदि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण क्रय करने से पूर्व हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी । अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ आदि आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (र०)	विवरण
	5.3.14	**34**	**2000**	रेत का क्रय
	5.3.14	34	7200/-	पत्थर का क्रय
	5.3.14	34	17500/-	रेत तथा रोडी
	5.3.14	35	16485/-	रेत तथा रोडी
	5.3.14	35	17300/-	रेत तथा रोडी
	20/3/14	37	1410/-	शेटरिंग
			15126/-	रेत स्टील रोडी
	9/12/14	50	11680/-	रेत
	13/12/14	52	16161/-	रेत तथा स्टील
	31/12/14	53	5760/- 11360/-	स्टील रेत तथा रोडी
	1/6/15	65	75943/-	सीमेंट
	15/6/15	70	21000/- 9324/- 14904/- 16610/-	रेत तथा रोडी का क्रय तथा रेत का किराया यथोपरि यथोपरि
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	15/3/14	60	8655/-	सीमेंट ब्लोक बनाने हेतु
	21/3/14	61	14000/-	रेत ----
	21/3/14	61	1580/-	सीमेंट का ढुलान
	8/12/14	98	11289/-	सीमेंट
	12/12/14	99	17500/- 7500/- 5000/-	इंटें रेत रोडी
	22/12/14	100	2590/-	मोडम का क्रय
	12/06/15	124	18362/-	रेत रोडी तथा लोडिंग एवं अन्लोडिंग
वाटर शेड	15/6/15	71	1700/-	स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुएं
		कुल	**347939**	

(ii) आवास योजना/अटल आवास योजना के अंतर्गत भुगतान सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:- अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान यह प्रतीत हुआ कि लाभार्थीयों को मकान निर्माण हेतु किश्तों का भुगतान प्रधान तथा सम्बन्धित वार्ड पंच के इस तथ्य के सत्यापन करवाए बिना ही किया जा रहा है कि लाभार्थी ने वास्तव में निर्देशानुसार अपेक्षित स्तर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। वाउचर के साथ न तो उनके इस बारे सत्यापन किये जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेज संलग्न पाया गया न ही मांगे जाने पर यह प्रस्तुत किया गया। सत्यापन के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी कि लाभार्थी वास्तव में किश्त प्राप्त करने के योग्य था तथा उसने निर्देशानुसार मकान का अपेक्षित स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। इस अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इनके बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां / माह	राशि (र०)	टिपन्नी
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	59 07/03/14	30500	श्रीमती विमला देवी को अटल आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किश्त का भुगतान ।

(iii) ₹2.16 लाख के भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियां प्रस्तुत न करना:- व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावतियाँ प्राप्त नहीं की जा रही है जोकि हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निदेशों की अवेहलना है तथा यह निम्न कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹215646 के भुगतान से सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (र०)	विवरण
मनरेगा	5/3/14	34	2000/-	रेत का क्रय
	5/3/14	34	7200/-	पत्थर का क्रय
	5/3/14	34	17500/-	रेत तथा रोडी
	5/3/14	35	16485/-	रेत तथा रोडी
	5/3/14	35	17300/-	रेत तथा रोडी
	9/12/14	50	11680/-	रेत का क्रय

	13/12/14	52	16161/-	रेत तथा स्टील का क्रय
	31/12/14	53	5760/- 11360/-	स्टील,रेत तथा रोडी का क्रय
	15/6/15	70	21000/- 9324/- 14904/- 16610/-	रेत, रोडी का क्रय तथा किराया
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	12/12/14	99	17500/- 7500/- 5000/-	इंटें,रेत तथा रोडी का क्रय
	12/06/15	123	18362/-	रेत रोडी का क्रय तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग
			₹215646	

12 मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:-

(i) अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने के बावजूद मस्टर रोल रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे से यह प्रतीत होता है कि इस रजिस्टर का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। इस कारण चयनित मासों में जिन मस्टर रोल्स द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु भुगतान किया गया था उन मस्टर रोल्स की संख्यां, जिन निर्माण कार्य हेतु वे जारी किये गये थे, उनकी अवधियों तथा क्रमवार प्रयोग होने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि नही की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मस्टर रोल रजिस्टर का रख रखाव तथा पूर्ण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मस्टररोल संख्यां 154 ₹9720/- (दिनांक 03/06/15, रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां 67) जिसमें श्री नन्त राम को ₹1620/- का भुगतान किया गया दर्शाया गया था उस मस्टर रोल पर उनके हस्ताक्षर नहीं पाए गये। इस कारण वास्तव में श्री नंतराम ने ₹1620/- की प्राप्ति की गई थी इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपयुक्त स्त्रोत से इस राशि की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित movement slip को पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में movement slips में सम्पूर्ण विवरण भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	दिनांक	मस्टर रोल संख्यां	राशि (र०)
मनरेगा	36	7/3/14	3125 तथा 3126	11316/-

36	7/3/14	3127	11178/-
36	7/3/14	3131	6072/-
36	7/3/14	3129 तथा 3130	13662/-
36	7/3/14	3128	9246/-

13 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-

(i) मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित मस्टर रोल्स द्वारा किये गये भुगतान को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस कारण इन मस्टर रोल्स द्वारा किये गये भुगतान सही है तथा सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा इनका आकलन कर लिया गया है इन तथ्यों की पुष्टि नही की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किये गये भुगतान के सही होने तथा सतर्कता समितियों द्वारा कार्य के सही एवं पूर्ण होने बारे नियमित रूप से सत्यापन करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**दिनांक**	**मस्टर रोल संख्यां**	**(₹)**
मनरेगा	34	5/3/14	2243	1980/-
	36	7/3/14	3125 तथा 3126	11316/-
	36	7/3/14	3127	11178/-
	36	7/3/14	3128	9246/-
	37	20/3/14	2302	2145/-
	38	20/3/14	2240	1980/-
	38	25/3/14	3594	18768/-
	38	25/3/14	3587	18216/-
	39	25/3/14	3586	14904/-
	39	25/3/14	3461 तथा 3462	10212/-
स्वस्त्रोत तथा	60	10/3/14	4082	19370/-
अनुदान	100	29/12/14	4091	20000/-
	61	21/03/14	4084	30065/-

(ii) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का उन निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication /assessment) न दर्शाना:-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का इन निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) नहीं दर्शाया गया। जिस कारण इन निर्माण सामग्रियों का इन कार्यों के कार्यान्वन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था

इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशी (र०)**	**निर्माण कार्य का शीर्ष**	**विवरण**
मनरेगा	5/3/14	34	18900/- (13230+5670)	नि०पक्का रास्ता सुनल से श्मशान तथा टैंक श्रीमती चम्पा देवी	सीमेंट
मनरेगा		34	2000/-	नि० टैंक श्री लक्ष्मी नन्द	रेत
मनरेगा		34	7200/-	चेक डेम ध्याना	पत्थर
मनरेगा		34	17500/- 1000/-	नि० टैंक श्री तारा चंद	रेत तथा रोडी तथा केरिज
मनरेगा		35	16485/-	नि० टैंक श्री परमा नन्द	रेत तथा रोडी
मनरेगा		35	17300/-	नि० टैंक श्री सुख राम	रेत तथा रोडी
मनरेगा	20/3/14	37	1410/-15126/- 2310/-	नि० टैंक श्री प्रेम लाल	रेत, रोडी, स्टील , शेटरिंग का किराया तथा मिस्त्री की दिहाड़ी
मनरेगा	9/12/14	51	11680/-	नि० चेक डेम रेवा शंकर	रेत
मनरेगा	13/12/14	52	16161/-	नि० टैंक श्री मोहन लाल	रेत तथा स्टील
मनरेगा	31/12/14	53	5760/- 11360/-	नि० टैंक श्री सुरत राम	स्टील, रेत तथा रोडी
मनरेगा	1/6/15	65 तथा 66	12315/- 12315/- 20525/-	चेक डेम चमारडी नाला चेक डेम बाग़ी नाला चेक डेम क्यारटु नाला	सीमेंट
मनरेगा	15/6/15	70	21000/- 2000/-	निर्माण कुहल काटल	रेत, रोडी
मनरेगा	15/6/15	70	9324/-	नि० टैंक श्री सुदेश	रेत, रोडी तथा

			14904/- 16610/-	नि० टैंक पुर्शोतम नि० टैंक चुन्नी लाल	किराया
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	21/3/14	61	14000/- 1580/-	नि० डनगां सार्वजनिक रास्ता (श्री शंकर लाल के घर के पास)	रेत
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	8/12/14	98	11289/-	नि० युवक मंडल भवन पलोग	सीमेंट
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	12/12/14	99	17500/- 7500/- 5000/-	नि० युवक मंडल भवन पलोग	इंटें, रेत तथा रोडी
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	12/06/15	123	18362/-	नि० पक्की नाली जाब्ड़ा	रेत रोडी तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग

(iii) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे:-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 चयनित मासों में विभिन्न निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय से सम्बन्धित आकलन, प्राशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृतियां, सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं माप पुस्तिका रजिस्टर सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित वाउचर्स तथा सम्बन्धित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये तथा इस कारण किये गये भुगतान समायोजन/प्राप्ति के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर निम्लिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (र०)	विवरण	टिप्पणी
मनरेगा	5/3/14	34	7200	पत्थर का क्रय	बिल की कुल ₹48000/- में से ₹40800/- का भुगतान पहले ही कर दिया गया दर्शाया गया था तथा शेष ₹7200/- भुगतान किया गया था। परन्तु पूर्व में ₹40800/- का भुगतान कब किया गया था तथा इतना ही किया गया था इसे से सम्बन्धित अभिलेख नहीं दर्शाया गया। इस कारण शेष राशि ₹7200/- का भुगतान सही है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
	8/3/14	36	2101	सीमेंट का समायोजन	सम्बन्धित अभिलेख नहीं दिखाया गया
	20/3/14	37	1680	मजदूरी का भुगतान	भुगतान सम्बन्धी अभिलेख नहीं दर्शाया गया
	20/3/14	38	2484	मजदूरी का भुगतान	यथोपरि
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	2/12/14	99	30000	प्रधान को जमा राशि का समायोजन	समायोजन सम्बन्धी अभिलेख नहीं दर्शाया गया
	2/12/14	58	16692	निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेंट का समायोजन	यथोपरि
	18/3/16	62	174	भू-राजस्व की प्राप्ति	सम्बन्धित अभिलेख नहीं दिखाया गया

15 स्टोर/स्टोक:-

(i) ग्राम पंचायत के भडार के प्रत्यक्ष सत्यापन (physical verification) बारे:-

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भंडार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भडार का भौतिक

सत्यापन किया ही नही जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है। अत; इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹3.56 लाख के क्रय की सम्बन्धित रजिस्टर्स में प्रविष्टियाँ न दर्शाना:-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टोक/स्टेशनरी रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (र०)**	**विवरण**
मनरेगा	5/3/14	34	18900/-	सीमेंट का क्रय
		34	2000/-	रेत का क्रय
		34	7200/-	पत्थर का क्रय
		34	17500/-	रेत तथा रोडी का क्रय
		35	16485/-	रेत तथा रोडी का क्रय
		35	17300/-	रेत तथा रोडी का क्रय
	20/3/14	37	15126/-	रेत, रोडी तथा स्टील का क्रय
	9/12/14	50	11680/-	रेत का क्रय
	13/12/14	52	16161/-	रेत तथा स्टील का क्रय
	31/12/14	53	5760/- 11360/-	स्टील, रेत तथा रोडी का क्रय
	1/6/15	65	75943/-	सीमेंट का क्रय
	15/6/15	70	21000/- 9324/- 14904/- 16610/-	रेत, रोडी का क्रय तथा किराया
स्वस्त्रोत	21/3/14	61	14000/-	रेत का क्रय
तथा	28/3/14	62	400/-	पेपर का रिम
अनुदान	8/12/14	98	11289/-	सीमेंट का क्रय

	12/12/14	99	17500/- 7500/- 5000/-	इंटें, रेत तथा रोडी का क्रय
	22/12/14	100	2590/-	मोडम का क्रय (TP Link)
	12/06/15	124	18362/-	रेत रोडी तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग ।
वाटर शेड	15/6/15	71	1700/-	स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुएं
			355594	

(iii) Inventory Register (मुख्य रजिस्टर) का रख रखाव न किये जाने बारे:-

यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में inventory रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है। जिस कारण कार्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त नही होती है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ग्राम पंचायत के सभी रोकड़ बहियों, स्टोर/स्टोक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को एक Inventory Register लगा कर उसमें दर्ज किया जाए । भविष्य में नए रजिस्टर को प्रयोग में लाने से पूर्व inventory register में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि कार्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके ।

16 अग्रिम:-

(i) अस्थाई अग्रिमों बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "घ")** के अनुसार दिनांक 31/03/16 को कोई भी अग्रिम राशि असमायोजित नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 30 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा र हा है क्योंकि बार-2 आग्रह करने के उपरान्त भी यह अंकेक्षण के अवलोकन हेत प्रस्तुत नही किया गया। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निर्देशानुसार विहित प्रपत्र पर अस्थाई अग्रिम रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अनियमित रूप से अग्रिम राशि जारी करने बारे:-

यह प्रतीत होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु राशि जारी करते समय हि०प्र० पंचायती राजी के नियम 2002 के नियम 107 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है । नियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राशियाँ participatory body या पंजीकृत संस्था के माध्यम से जारी की जानी अपेक्षित है। इसके इलावा निर्माण कार्यों पर आये व्यय का भुगतान मस्टर रोल तथा मेटीरियल के वास्तिवक बिलों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु निम्नलिखित कुछ प्रकरणों में पाया गया कि निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु व्यक्तिगत रूप से अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी जबकि नियम में ऐसा कोई भी प्रावधान प्रतीत नहीं होता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**पृष्ठ संख्यां**	**दिनांक**	**अग्रिम राशि**	**टिप्पणी**
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	100	19/12/14	40,000	प्रधान को अग्रिम राशि जारी

17 विविध :-

(i) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 37 दिनांक 03/12/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के उपरान्त भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 में दिए गये निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित पंचायत के पारित बजट आकलन अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित बजट आकलन आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

18 **लघु आपत्ति विवरणिका**:- अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19 **निष्कर्ष**:- खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 7/2016—खण्ड—1— 2724—2727 दिनाँक : 17.05.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत पलोग, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881